न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
74 / 2024 / प्रा.पत्र / 2024	16.10.2024	29.11.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री लोकेश कुमार साहू पुत्र श्री रामदेव साहू निवासी चुंगी नाका सरोली रोड दूनी जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स लोकेश ट्रेडिग कम्पनी मीरा सर्किल मेन बाजार दूनी जिला टोंक राज0। पिनकोड–304802 मो0न0 8233180148।
2–मैसर्स लोकेश ट्रेडिग कम्पनी मीरा सर्किल मेन बाजार दूनी जिला टोंक राज0। पिनकोड–304802

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (v) एवं दण्डनीय धारा 51व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी श्री लोकेश कुमार साहू स्वयं उपस्थित।

:–निर्णय–: **दिनांक 29.11.2024**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 18.05.2024 को समय 04:30 पी.एम.पर मैसर्स लोकेश ट्रेडिग कम्पनी मीरा सर्किल मेन बाजार दूनी जिला टोंक पर पहुंचा। वहां खाद्य कारोबारकर्ता एवं विकता के हैसियत से श्री लोकेश कुमार साहू पुत्र श्री रामदेव साहू अपने प्रतिष्ठान मैसर्स लोकेश ट्रेडिग कम्पनी मीरा सर्किल मेन बाजार दूनी पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री लोकेश कुमार साहू पुत्र श्री रामदेव साहू को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री लोकेश कुमार साहू पुत्र श्री रामदेव साहू ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ–साथ दुकान की गोदाम में 1–1 लीटर के 4 कार्टून व 500–500 एमएल पैक के 3 कार्टून मूल पैक पैक्ड अवस्था में **घी(श्री सरस ब्राण्ड)** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विकेता श्री लोकेश कुमार साहू पुत्र श्री रामदेव साहू को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच कय करने हेतु नोटिस

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री लोकेश कुमार साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **घी(श्री सरस ब्राण्ड)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, दुकान के गोदाम में 1–1 लीटर के 4 कार्टून व 500–500 एमएल पैक के 3 कार्टून मूल पैक पैक्ड अवस्था में **घी(श्री सरस ब्राण्ड)** के बेंच नं0 95 एवं पैंकिग की दिनांक 04.04.2024 थी में से पैक्ड अवस्था में 500–500 एम.एल. पैक के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 500–500 एम.एल.के 4 मूल पैक **घी(श्री सरस ब्राण्ड)** को ज्यों का त्यों अलग–अलग खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3998 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3998 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री लोकेश कुमार साहू पुत्र श्री रामदेव साहू ने मौके पर बतौर वारन्टी कोई खरीद बिल प्रस्तुत नही किया। आवेदक ने विकता को वारन्टी बिल हेतु पत्र प्रेषित किये परन्तु विक्रेता ने कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए / 2024 / 665 दिनांक 11.06.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एलएस / 1985 / एक्ट / 2024 / 2031 दिनांक 31.05.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **घी(श्री सरस ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(i)(zx) के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व रेगुलेशन नं0 2.3.7(2) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री लोकेश कुमार साहू स्वयं उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। उक्त घी में किसी प्रकार से बाह्य पदार्थ नहीं मिलाया गया है। यह मानव उपयोग के लिए किसी

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

तरह हानिकारक नहीं है। उक्त घी निर्माता फर्म से क्रय करके उसी अवस्था में विक्रय हेतु रखा हुआ था अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी(श्री सरस ब्रण्ड)** का विक्रय कर रहे थे, उसमें Foreign Fat उपस्थित मिला है। वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** एवं **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58(सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी(श्री सरस ब्रण्ड)**का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** एवं **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 29.11.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सींकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0